दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये फ्लैटों का निर्माण

1714. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैटों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनमें से इस समय खाली पड़े फ्लैटों की संख्या कितनी है तथा उन्हें आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अब यह सत्यापित करने के लिए जांच की है कि जो फ्लैट सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया है क्या उस फ्लैट में स्वयं वह या उसके परिवार के सदस्य रह रहे हैं ;

(घ) यह जांच कितने अंतराल के बाद की जाती है और किस स्तर के अधिकारी यह जांच करते हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये हैं और इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में साधारण पूल से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टाईपवार उपलब्ध फ्लैट इस प्रकार हैं :—

टाइप I	16,431	टाइप IV(वि.)	384
टाइप II	23,118	टाइप V	1887
टाइप III	16,251	टाइप VI	520
टाइप IV	5,001	टाइप VII	108
		टाइप VIII	113
			63,813

(ख) सरकारी वास में रिक्तियां आवर्ती रूप में होती रहती हैं और रिक्तियों की प्राप्ति, इनके आबंटन और भावी आबंटी द्वारा स्वीकृति में हमेशा कुछ न कुछ अन्तर रहता है। रिक्तियों को बिना कोई समय गवायें आबंटित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जब कभी भी शिकायत प्राप्त होती है, दो राजपत्रित अधिकारियों के दल द्वारा उस विशेष क्वार्टर की जांच कराई जाती है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान 1653 मामलों की सूचना दी गई है। दोषी आबंटियों के विरुद्ध सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की गई है।

Allotment of plots under the Rohini Residential Scheme

1715. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the present status of the allotment of plots to the applicants in each category under Rohini Residential Scheme and upto what priority number plots in each category have been allotted till June 1994;

(b) what is the rate per metre charged in 1992, 1993 and 1994 from

each registered applicants in each category; and

(c) when the Rohini Residential Scheme was notified and by when all the registered applicants will be given plots under the above scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) DDA has reported that 82,384 persons were registered under Rohini Residential Scheme 1981. Their category-wise present status of allotment is as under:—

S.No.	Category	No. of registrants	Allotment made	Priority Number covered
1	Janta	18390	13857	2002
2	LIG	38105	17109	5954
3	MIG	25889	10764	5101
	TOTAL:	82384	41730	

Out of above, 1547 registrants have got their registration cancelled and thus total of 39107 registrans are in the waiting list.

(b) No allotment of plot was made during the year 1992. The rate per sq. mtr. charged in 1993 from each registered applicant in each category is as under:—

S.No.	Category	No. of Plots allotted	Rate per sq. mtr. charged
1	Janta	Nil	Nil
2	LG	592	Rs. 1049.97/-
3	MIG (60 Sq. mtr.)	1200	Rs. 1579.71/-

No rates have been fixed for 1994.

(c) The Rohini Residential Scheme was opened from February, 1981 to April 1981 and a phased programme has been chalked out to make allotment to all remaining registrants by the end of the 8th Five Year Plan subject to availability of land funds, infrastructure etc.

आवासीय स्थानों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये रूपान्तरण

1716. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण